न्यायालय— सिविल जज (सि0डि0), षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0—67 / 1995

02-07-2025 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। उभयपक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। वादी के द्वारा दिनांक—01.05.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 —सह— पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया तथा उक्त आवेदन को संचालित करते हुए वे अभिकथन करते है कि वादी सं0—3 दासो महतो की मृत्यु दिनांक 07.04.2025 को हो चुकी हैं तथा वह अपने पीछे विधिक वारिसान एवं उत्तारधिकारी के रूप में अपने दो पुत्र 1. देव सरण महतो एवं 2. सुरेश महतो तथा दो पुत्री 1. शारदा देवी एवं 2. रेखा देवी को छोड़ गये हैं। वादी संख्या 3 के दो पुत्र 1. देव सरण महतो (वादी संख्या 4), 2. सुरेश महतो (वादी संख्या 5) पूर्व से ही अभिलेख पर उपस्थित है। आगे कथन करते है कि वादी सं0—3 के नाम को वाद पत्र से विलोपित करते हुए वादी सं0—3 की पुत्री के नाम को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक—01.05.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदनों को स्वीकृत किया जाता है। साथ—ही वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार मृतक के नाम को विलोपित करते हुए उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों के नाम को प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक—...............................वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

सिविल जज (सि0डि0), षष्ठम्
पटना सिटीण